


# कार्यालय अंचल अधिकारी, करी।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०- 436/16-17 /

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
<p><u>04/01/2021</u></p>	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०नि०-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-  मौजा.....थाना नं० <u>72</u> खाता नं० <u>30</u> खेसरा नं०.....  <u>मुफ्फर</u> रकबा <u>1.000</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या <u>26</u> पर जमाबंदी रैयत <u>513 305</u>  .....पिता/पति..... के नाम से कायम है।  हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।  हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।  प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।  अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।  अभिलेख दिनांक <u>12/01/2021</u> को रखें।  लेखपति एवं संशोधित  अंचल अधिकारी</p>	

  
अंचल अधिकारी

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
<p>17/02/2022</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत उपस्थित/अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत <u>सामु मुन्सा</u> पिता ..... के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में <u>कैह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं</u> किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है।</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा <u>लुटु</u> थाना नं० <u>72</u> के सर्वे खतियान में खाता सं० <u>30</u> गैरमजुरुआ खास किस्म..... दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii में भाग I पृष्ठ सं० <u>26</u> खाता <u>30</u> प्लॉट सं० ..... रकबा <u>1.00</u> एकड़ भूमि <u>सामु मुन्सा</u> पिता ..... के नाम से बिना प्राधिकार का दर्ज पाया। पंजी II में पहला लगान वसूली वर्ष <u>1991</u> से दर्ज है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बंदोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल कब्जा नहीं है। अवैध जमाबंदीदार <u>अनुसूचित जनजाति</u> जाति के श्रेणी में आते हैं। भूमि का वर्तमान स्वरूप <u>अध</u> है। अवैध जमाबंदीदार सैनिक/अर्द्धसैनिक बल के/वीरगति/शहीद के उत्तराधिकारी, पूर्वी पाकिस्तान एवं वर्मा से आये हुए शरणार्थी सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार, भूमिहीन दिव्यांग नहीं है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि, शासकीय परिसर/संस्थान/राजपथ/उच्चपथ/मुख्यपथ से दूरी पर है। उक्त चिन्हित जमाबंदी में प्लॉट की विवरणी दर्ज नहीं है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा <u>लुटु</u> थाना नं० <u>72</u> खाता <u>30</u> प्लॉट सं० ..... रकबा <u>1.00</u> एकड़ भूमि को अवैध/अनियमित जमाबंदी त्रुटिपूर्ण रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई तत्काल स्थगित की जाती है।</p> <p>लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी करा।</p>	<p>अंचल अधिकारी करा।</p>